संचालनालय महिला एवं बाल विकास म.प्र.

विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष :0755-2550909, 2550918 फैक्स 0755-2550912

www.mpwcdmis.gov.in icpsbhopal@gmail.com

क्रमांक/ICPS/23/ 80 भोपाल दिनांक 21/4/2023

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–समस्त
मध्यप्रदेश।

विषयः– **बाल देखरेख संस्थाओं में CCTV कैमरों के संचालन हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने बावत।**

––00––

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् प्रदेश में बाल देखरेख संस्थाओं यथा– सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, बालगृह, खुला आश्रय गृह एवं विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण का संचालन किया जा रहा है।

किशोर न्याय समिति, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा इन संस्थाओं में CCTV कैमरों के संचालन के संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) का निर्धारण कर पालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

कृपया पत्र के साथ संलग्न मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) अनुसार बाल देखरेख संस्थाओं में CCTV कैमरों का संचालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(डॉ. राम राव भोंसले)
आयुक्त
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश

पृ0 / क्रमांक / ICPS / 2023 81 भोपाल, दिनांक 21/4/ .2023

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार, किशोर न्याय समिति, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, म.बा.वि. जिला समस्त। कृपया निर्देशानुसार कार्यवाही पूर्ण कर पालन सुनिश्चित करें।

आयुक्त
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश
21.4.23

मानक प्रचालन प्रक्रिया(Standing Operating Procedure)

बाल देखरेख संस्था में निवासरत बच्चों की सुरक्षा एवं देखरेख हेतु CCTV कैमरों के संबंध मानक प्रचालन प्रक्रिया(SOP)

1. परिचय –

CCTV एक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी निगरानी प्रणाली है जो पूरे संगठन की निगरानी कर सुरक्षा रखती है किसी भी संगठन के समीपस्थ सुरक्षा स्तर को प्राप्त किये जाने के लिए इसका लाभप्रद उपयोग किया जा सकता है। किसी भी संगठन में 24 घंटे सुरक्षा, सतर्कता बनाये रखे जाकर सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए **CCTV** कैमरों से निगरानी प्रणाली संचालित की जाती है।

2. उद्देश्य –

CCTV कैमरों के संबंध मानक प्रचालन प्रक्रिया (**SOP**) बनाये जाने का उद्देश्य किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के तहत् प्रदेश में संचालित समस्त बाल देखरेख संस्थाओं के नियंत्रण, संचालन, और बालकों के देखभाल एवं सुरक्षा को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किये जाने तथा किसी भी प्रकार की उत्पीड़न की स्थिति को रोकने के लिए दिशा–निर्देश प्रदान करना है।

3. **कैमरों / मॉनिटर की गुणवत्ता एवं क्षमता–**

(1) संस्था में लगाये जाने वाले Analog कैमरे होना चाहिए एवं कैमरे तथा मॉनिटर अच्छी गुणवत्ता के होना चाहिए।

(2) संस्था में ऐसे कैमरे एवं मॉनिटर लगाये जाने चाहिए जिनमें 24 **X** 7 घंटे कार्य करने की क्षमता हो। तथा उनसे ली गई तस्वीर साफ–साफ आती हो।

(3) कैमरों का अधिकतम **coverage** होना चाहिए तथा उनके माध्यम से ली जाने वाली तस्वीर साफ होना चाहिए।

(4) कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए लगाये जाने वाले मॉनिटर की स्क्रीन की **size** ऐसी होना चाहिए जिसमें सभी कैमरों की तस्वीर साफ एवं स्पष्ट हो।

(5) कैमरों में डिजिटल विडियों रिकार्डिंग सिस्टम उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए।

4. **डिजिटल विडियों रिकार्डिंग सिस्टम(DVR / NVR) –**

(1) डिजिटल विडियों रिकार्डिंग सिस्टम में 24 **X** 7 घंटे कार्य करने वाला होना चाहिए।

(2) डिजिटल विडियों रिकार्डिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम 180 दिवस की अवधि की रिकार्डिंग हो।

(3) रिकार्डिंग का बैंकअप सुरक्षित रखे जाने के लिए कम से कम **8tb** की **External** हार्ड डिस्क होना चाहिए।

(4) सिस्टम में एसएमएस के माध्यम से सूचना दिये जाने की प्रणाली होना चाहिए।

(5) सिस्टम में मोबाईल के माध्यम से मॉनिटरिंग की व्यवस्था होना चाहिए।

5. कैमरों / मॉनिटर संख्या एवं स्थिति –

(1) प्रत्येक बाल देखरेख संस्था में कम से कम 08 **CCTV** कैमरे होना चाहिए।

(2) परिसर में सी.सी.टी.व्ही कैमरों स्थिति तथा एगंल इस प्रकार सेट किए जाए, जिससे सभी महत्वपूर्ण स्थान जैसे दवाईयों की अलमारी, प्रवेश द्वारा आंगन का खुला स्थान बरामदा, रसोईघर तथा स्टोर पूरी तथा संस्था का परीसर की पूर्ण तस्वीर दिखाई दे।

(3) बाल देखेरखे संस्था में कैमरों की संख्या एवं स्थिति निम्नानुसार हो सकती है

क्र	कैमरों की स्थिति	कैमरे का टाईप	संख्या
1	संस्था के भवन के बाह्य परिसर में प्रवेश द्वारा एवं परिसर में पीछे की ओर (सम्पूर्ण बाह्य परिसर की निगरानी एवं सुरक्षा हेतु)	Analog	01–01 कैमरा
2	संस्था भवन के आंतरिक परीक्षा में कैमरा ऐसी स्थिति में होना चाहिए जो संस्था में प्रवेश तथा निकासी की निगरानी कर सकता हो	Analog	01 कैमरा
3	संस्था में रसोईघर में कैमरा ऐसी स्थिति में लगा होना चाहिए जिससे प्रवेश, निकासी एवं भीतर की निगरानी की जा सके।	Analog	01 कैमरा
4	संस्था का स्टोर रूम में (सी.सी.टी.व्ही. कैमरे ऐसी स्थिति में हो जिससे सम्पूर्ण स्टोर रूम कवर होता हो)	Analog	01 कैमरा
5	प्रशिक्षण कक्ष , परिजनों से मुलकात के कक्ष में	Analog	01 कैमरा
6	संस्था में शयनकक्ष, स्नानघर, आदि के सामने स्थित गलियारे एवं छत के मुख्य द्वारा पर	Analog	01–01 कैमरा

(4) संस्था में लगाये जाने कैमरे की स्थिति ऐसी होना चाहिए जो संस्थागत/बाहरी व्यक्ति की पहुंच से दूर हो।

(5) संस्था की आवश्यकता तथा भवन की अवसंरचना एवं सुरक्षा/निगरानी के सभी बिन्दुओं को कवर किये जाने हेतु कैमरों की संख्या में सुरक्षा के बिन्दुओं के मान से बढोत्तरी की जाना चाहिए।

6. कैमरों के संचालन की प्रक्रिया–

(1) CCTV कैमरों से निगरानी हेतु अधीक्षक/प्रबंधक सहित संस्था के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षित होना चाहिए।

(2) संस्था के योग्य और जिम्मेदार कर्मचारियों द्वारा निरंतर CCTV कैमरों की निगरानी की जाना चाहिए।

(3) **CCTV** कैमरों, मॉनिटर डिजिटल विडियों रिकार्डिंग आदि के उपकरणों की निगरानी, संचालन, मॉनिटरिंग एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी योग्य एवं सक्षम अधिकारी को सौपी जाना चाहिए।

(4) बालकों की देखभाल, सुरक्षा की जवाबदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु **CCTV** कैमरों की निगरानी के लिए सस्था में ड्यूटी करने वाले प्रत्येक संस्थागत कर्मचारी के पद के अनुरूप एवं उसकी ड्यूटी रोस्टर के अनुसार जिम्मेदारी सौपी जाना चाहिए।

(5) संस्थागत कर्मचारियों द्वारा अपनी ड्यूटी के समय संस्था में होने वाली घटनाओं एवं संदिग्ध व्यवहार की जानकारी संज्ञान में आने पर कैमरों को जूम करके देखना चाहिए इसकी सूचना अधीक्षक/प्रबंधक एवं जिम्मेदार व्यक्ति को दी जाना चाहिए।

(6) कैमरों की निगरानी के लिए नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अपनी दैनिक रिपोर्ट संस्थागत अधीक्षक/प्रबंधक को दी जानी चाहिए।

(7) संस्था में कैमरों की निगरानी हेतु पंजी का संधारण किया जाना चाहिए जिसे प्रत्येक ड्यूटीरत कर्मचारी/अधिकारी द्वारा आगामी ड्यूटी करने वाले कर्मचारी/अधिकारी को चार्ज में दिया जाना चाहिए।

(8) कैमरों की निगरानी हेतु संधारित पंजी में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तिथि, समय ,कैमरा क्रमांक एवं कैमरे की स्थिति की जानकारी के साथ दर्ज किया जाना चाहिए।

(9) कैमरों की रिकार्डिग एवं बैकअप को **External** हार्ड डिस्क में सुरक्षित अधीक्षक/प्रबंधक के पास रखा जाना चाहिए।

(10) कैमरों के माध्यम से पूरे परिसर की निगरानी की जानी चाहिए परीसर के बाहर कोई भी संदिग्ध स्थिति पाये जाने पर अधीक्षक को इसकी सूचना समीपस्थ पुलिस स्टेशन, बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड एवं जिला बाल संरक्षण इकाई को दी जानी चाहिए।

(11) कैमरों की दक्षता परीक्षण, प्रबंधन, परीक्षण के लिए अर्द्ध–वार्षिक/वार्षिक ऑडिट करवाया जाना चाहिए।

(12) यदि निगरानी करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को कैमरों से धुंधली तस्वीर दिखायी दे या मॉनिटर में कोई समस्या दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल संस्था के प्रबंधन को दी जानी चाहिए।

(13) निगरानी के दौरान यदि कोई बालक अकेला या गुमसुम रह रहा है अथवा संस्था की गतिविधियों में भागीदारी नही कर रहा है तो उसकी सूचना अधीक्षक/प्रबंधक अथवा जिम्मेदार कर्मचारी को दी जानी चाहिए।

(14) कैमरों को लगाते समय यह विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए की संस्थागत बच्चों की निजता का उल्लंघन न हो।

(15) **बालिकाओं की संस्था में निगरानी मॉनिटर ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पुरूषों का प्रवेश प्रतिबंधित हो।**

(16) चौकीदार एवं गार्ड यह सुनिश्चित करे कि बच्चों के कमरे के सी.सी.टी. व्ही कैमरे सुचारू रूप से कार्य कर रहे हो, संस्था के कक्ष, खिड़की, दरवाजे, रोशनदान, प्रवेश द्वारा, चैनल गेट, शौचालय/स्नानघर आदि में कोई टूट–फूट, छेड़छाड़ न हुई हो कोई भी संदेह की स्थिति में तत्काल इसकी जानकारी से संस्था के प्रभारी अधिकारी अथवा जिम्मेदार को अवगत करायें।

(17) स्टोर में रखे रासायनिक पदार्थ व बागवानी में उपयोग किये जाने वाले उपकरण यथा फावड़ा, गेती, कैंची, कुल्हाड़ी आदि सी.सी.टी.व्ही. कैमरे से कवर होना चाहिए।

(18) प्रत्येक दिवस अधीक्षक/प्रबंधक को यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी कैमरे एवं मॉनिटर पूरी तरह से कार्य कर रहे हो एवं सही एंगल पर हो ताकि किसी भी संभावित सुरक्षा चूक को रोका जा सके।

7. रखरखाव (Maintainence) –

(1) संस्था में लगाये गये कैमरों, मॉनिटर एवं डिजिटल विडियों रिकार्डिंग सिस्टम का प्रत्येक त्रैमास में तकनीकी विशेषज्ञ से रखरखाव करवाया जाना चाहिए।

(2) दोषपूर्ण कैमरों / मॉनिटर अथवा घुंघली तस्वीरों की रिपोर्ट अधीक्षक/प्रबंधक को की जाना चाहिए तथा ऐसी स्थिति पाये जाने पर प्रबंधक द्वारा तकनीकी विशेषज्ञ से तत्काल सुधार कार्य करवाया जाना चाहिए।

(3) संस्थागत ड्यूटीरत कर्मचारियों/अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कैमरे सही एंगल पर हो तथा सही प्रकार से कार्य कर रहे हो।

8. संस्था स्तर पर मॉनिटरिंग–

संस्थागत बालकों की सुरक्षा, देखभाल, सतर्कता एवं संस्था में किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को रोकने के लिए कैमरों की निगरानी हेतु संस्थागत कर्मचारियों की ड्यूटी लगाये जाने के साथ ही संस्था के जिम्मेदार कर्मचारियों एवं अधीक्षक के मोबाईल पर कैमरों एक्सिस होना चाहिए जिससे नियमित निगरानी संभव हो सके ।

9. जिला स्तर पर मॉनिटरिंग– जिला स्तर पर प्रत्येक बाल देखरेख संस्था की नियमित निगरानी हेतु बाल संरक्षण इकाई में कार्यरत संरक्षण अधिकारी(संस्थागत), परिवीक्षा अधिकारी , बाल परामर्शदाता को भी कैमरों एक्सिस होना चाहिए। इस संबंध में जिला बाल संरक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालिकाओं को रखने वाली संस्था में लगे कैमरों का एक्सिस इकाई की जिम्मेदार महिला कर्मचारी के पास हो ।

10. गोपनीयता–

(1) किसी भी बाल देखरेख संस्था में सक्षम व्यक्ति के अतिरिक्त कैमरों का लॉगिन एवं पासवर्ड किसी को भी नही दिया जाये।

(2) कैमरो की स्थिति एवं निगरानी ऐसे होना चाहिए जिससे संस्थागत बच्चों की निजता एवं गोपनीयता का उल्लंघन न हो।

(3) डिजिटल विडियों रिकार्डिंग सिस्टम एवं बैकअप सुरक्षित स्थान पर एवं लॉकअप में रखा जाना चाहिए तथा उस स्थान पर संस्थागत बच्चों एवं बाहरी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए।

(4) बालिकाओं को रखने वाली संस्था की रिकार्डिंग केवल महिला अधिकारी/कर्मचारियों को देखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(5) रिकार्डिंग की कापी की जाने की अनुमति किसी को नही दी जानी चाहिए यदि किसी जांच में यदि रिकार्डिंग की कापी की आवश्यकता है तो इस हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट की सहमति ली जाने के उपरांत ही दी जानी चाहिए।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संस्था में कैमरो की निगरानी करने वाले अधिकारी/कर्मचारी, संस्था प्रबंधन, अधीक्षक/प्रबंधक, मॉनिटरिंग प्राधिकरण, निरीक्षण दल के द्वारा कैमरो की रिकार्डिंग, फोटो, विडियों किसी बाहरी व्यक्ति, प्रिंट या इलेक्ट्रिक मीडिया, किसी भी वॉटसअप ग्रुप, फेसबुक या किसी भी सोशल प्लेटॅफार्म में नही दिया जायेगा।

(7) **किसी भी शासकीय**/अशासकीय व्यक्ति या संस्था द्वारा बिन्दु क्रमांक 07 का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जायेगी।

11. विभिन्न कृत्यकारियों के कृत्य एवं उत्तरदायित्व–

(1) संस्था के भारसाधक अधिकारी द्वारा कैमरो की निगारानी के लिए संस्था के अधिकारी/कर्मचारियों की कार्यदायित्व निर्धारित किये जायेगे।

(2) भारसाधक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कैमरो, कैमरों, मॉनिटर एवं डिजिटल विडियों रिकार्डिंग सिस्टम सुचारू रूप से कार्य कर रहे हो।

(3) भारसाधक अधिकारी द्वारा मोबाईल एक्सेस के माध्यम से नियमित मॉनिटरिंग की जायेगी तथा किसी भी संदिग्ध स्थिति की जानकारी तत्काल समीपस्थ डायल 100 एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी को दी जायेगी।

(4) भारसाधक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि निगरानी के समय संस्थागत बच्चों की गोपनीयता एवं बिन्दु क्रमांक 10 के उल्लंघन के स्थिति निर्मित न हो।

(5) जिला बाल संरक्षण अधिकारी बाल देखरेख संस्था में सुरक्षा तथा सतर्कता हेतु मोबाईल एक्सेस के माध्यम से निगरानी का दायित्व जिला बाल संरक्षण इकाई के कर्मचरियों को सौपेंगा तथा समय–समय पर इसकी रिपोर्ट संबंधित कर्मचारियों से प्राप्त करेगा।

(6) जिला बाल संरक्षण अधिकारी मानक प्रचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करवायेगा तथा समय–समय पर इसकी स्पॉट चेकिंग करेगा।

(7) जिला बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड एवं जिला स्तरीय निरीक्षण समिति द्वारा समय–समय पर किये जाने वाले संस्था के निरीक्षण के समय यह सुनिश्चित करेगे कि संस्था में कैमरो की मानक प्रचालन प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

(8) बालिकओं को रखने वाली संस्था के संबंध में कैमरो की रिकार्डिंग जिला बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड एवं जिला स्तरीय निरीक्षण समिति की केवल महिला सदस्य द्वारा ही देखी जायेगी।

....00....................................

सहायक संचालक (ICPS)
महिला एवं बाल विकास
मध्य प्रदेश